न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार – अटल सेवा केन्द्र बगड़ी नगर
पीठासीन अधिकारी:– श्री मुकेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 1089/2017

वादीगण

1. बुधाराम पुत्र मिसरीया
2. मैना पत्नी मिसरीया जातियान बावरी निवासीगण बगड़ी नगर, तहसील सोजत जिला–पाली, (राजस्थान)।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मृतक पेमा पुत्र मोड़ा के कायम मुकाम
1/1 माड़की पत्नी पेमारा
1/2 ओमाराम पुत्र पेमारा
2. शिवलाल
3. सुजा
4. थाना पि. पाबु
5. माणकी बेवा पाबु
6. प्रताप वल्द वचना
7. गोदावरी बेवा सेसा जातियान बावरी निवासीगण बगड़ी नगर, तहसीलद सोजत, जिला–पाली
8. तहसीलदार (भूमि–धारक), सोजत तहसील सोजत जिला–पाली, (राजस्थान)।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज स्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. वादीगण संख्या 01 व 02 स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 07.06.2018

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बगड़ी नगर चक प्रथम में खसरा संख्या 378, 440, 460 व 4641 कुल किता 04 रकबा 5.0900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/5 हिस्सा आता है व प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 02 से 05 का 1/5 हिस्सा, प्रवितादी संख्या 06 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 07 का 1/5 हिस्सा हक–हकुक कब्जे काश्त का आता है और इसी अनुसार पक्षकारान अपनी–अपनी जोत पर काबिज काश्त है। राजस्व रेकर्ड में उक्त वादस्थ कृषि भूमि का पक्षकारान के विभाजित नहीं हो रखा है, जिसके कारण प्रतिवादीगण अपनी मन–मर्जी से संयुक्त कृषि जोत भूमि पर अलग–अलग कब्जा करना चाहते है, जो जब तक कृषि भूमि का कायदे के अनुसार विभाजन नही करा लेवे, कब्जा करने का हकदार नहीं है। वादीगण की बड़ी हकतल्फी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

...त कृषि भूमि एक सी नहीं है, हल्की भारी, कम–ज्यादा उपजाऊ है तथा प्रतिवादी संख्या 01 ... 07 अपनी मनमर्जी से माफिक बंटवाडा कर रहे है, जिसका उनको कोई अधिकार नहीं है। अतएव वादीगण इस कृषि भूमि का डिवीजन ऑफ होल्डिंग बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवा कर उक्त कृषि भूमि का खातेदारी रेकर्ड अनुसार वादी अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते है। इस प्रकार वादीगण ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश कर माफिक वाद डिक्री किये जाने एवं विवादग्रस्त उक्त भूमि में वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में विभाजन किये जाने की ईस्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्स वास्ते जवाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/2 एवं 02 से 08 को बावजूद तामिली/सूचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 14.03.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार, 2018 कार्यक्रम में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प अटल सेवा केन्द्र बगडी नगर पर पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकल किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र तथा दस्तावेजात् का गहनता से अध्ययन किया गया। उपस्थित वादीगण को सुना जाकर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रेकर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदार होना प्रमाणित है, जिससे प्राथमिक रूप से वादीगण का वाद आज स्वीकार किया गया। माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक रूप से उक्त वाद डिक्री किया जाता है तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाया जाने योग्य होने से तहसीलदार, सोजत को तत्काल प्रभाव से आदेशित किया गया कि सरहद मौजा बगड़ी नगर चक प्रथम में खसरा संख्या 378, 440, 460 व 4641 कुल किता 04 रकबा 5.0900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि में वादीगण की भूमि का पक्षकारान के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन अलग–अलग खसरा संख्या, रकबा एवं लगान निर्धारण कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तत्काल पेश करें। आज दिनांक 07.06.2018 को ही उप तहसीलदार, बगड़ी नगर ने विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया, सामिल मिसल किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर उपस्थित वादीगण को सुना गया,। जिसमें उन्होने सहमति व्यक्त की है। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 07.06. 2017 अनुसार वाद डिक्री किया जाना तथा विवादित भूमि में वादीगण की भूमि का विभाजन/बंटवाडा पक्षकारानों में किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

–: <u>आदेश</u> :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 07.06.2018 अनुसार डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बगड़ी नगर चक प्रथम में खसरा संख्या 378, 440, 460 व 461 कुल किता 04 रकबा 5.0900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि का तहसीलदार सोजत द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान् के बीच खसरा संख्या, रकबा एवं लगान का निर्धारण अर्थात् बंटवाडा निम्नानुसार किया जाता है तथा नजरी नक्शे को इस डिक्री का भाग बनाया जाता है –

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है.)	किस्म	लगान
1.	बुधाराम पुत्र मिसरीया, मैना पत्नी मिसरीया कौम बावरी साकिन देह खातेदार।	461/1	1.0180	बारानी अव्वल	6.12
	कुल	01	1.0180	बारानी अव्वल	6.12
2	माड़की पत्नी पेमाराम, ओमाराम पुत्र पेमाराम, शिवलाल, सुजा, थाना पि. पाबु, भाणकी बेवा पाबु, प्रताप वल्द वचना, गोदावरी बेवा सेसा, कौम बावरी, साकिन देह खातेदार।	461	0.7620	बारानी अव्वल	4.57
		378	1.0600	बारानी अव्वल	6.36
		440	1.3800	बारानी अव्वल	8.28
		460	0.8700	बारानी अव्वल	5.22
	कुल	04	4.0720	बारानी अव्वल	24.42

तहसीलदार सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 07.06.2018 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प – 2018 अटल सेवा केन्द्र बगड़ी नगर में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner